

प्रेषक,

महेश कुमार गुप्ता,  
अपर मुख्य सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/  
प्रमुख सचिव/सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग

लखनऊ : दिनांक : 03 अक्टूबर, 2022

विषय :- उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022 के क्रियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के शासनादेश संख्या: 1096/87-8(1)अतिरिक्तस्रोतवि/2022 दिनांक 03 अक्टूबर, 2022 द्वारा "उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022" का प्रत्यापन किया गया है। नीति की प्रति उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) के लिंक [http://upneda.org.in/MediaGallery/BIO\\_ENERGY\\_POLICY-28092022.pdf](http://upneda.org.in/MediaGallery/BIO_ENERGY_POLICY-28092022.pdf) पर उपलब्ध है।

2. कृपया "उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022" में अपने विभाग से सम्बन्धित दिन्दुओं के क्रियान्वयन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को अविलम्ब अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,



(महेश कुमार गुप्ता)  
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक: तदैव।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि, निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
- 2- अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उ0प्र0।
- 3- अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
- 4- निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्य मंत्री, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उ0प्र0।
- 4- कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
- 5- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
- 6- अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 शक्ति भवन, लखनऊ।
- 7- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
- 8- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 9- प्रबन्ध निदेशक, समस्त डिकॉम, उत्तर प्रदेश।
- 10- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 11- निदेशक, उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा)
- 12- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।
- 13- माई फाईल।

आज्ञा से,

(सुनील कुमार चौहान)  
अनु सचिव।